बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

जागो
ग्राहक
जागो

उपभोक्ता कृपया ध्यान दें।

जागो
ग्राहक जागो

प्रायः देखा जाता है कि राज्य के व्यापारी/खुदरा दुकानदार खरीदे गये सामग्रियों के कैशमेमों/बिल पर यह अंकित करते है कि एक बार बिका हुआ माल वापस नहीं होगा (Goods once sold will not be taken back/exchanged) जो न केवल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा – 14 का उल्लंघन है बल्कि उपभोक्ताओं के साथ अत्याचार है।

2. अतः व्यापारी/खुदरा दूकानदारों से अनुरोध है कि वे उपभोक्ता संरक्षण के उपर्युक्त प्रावधानों का दृढ़ता से पालन करें तथा कैशमेमों /बिल पर "एक बार बिका हुआ माल वापस नहीं होगा" अंकित नहीं करें अन्यथा उनके विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

3. उपभोक्ता कृपया टॉल फ्री राज्य उपभोक्ता हेल्प लाईन संख्या – 1800 3456 188 पर निःशुल्क सुझाव एवं परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

सू.ज.स.वि.- 9797 (आपूर्ति) 11-12, बिहार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

घूसखोर का क्या जीना- न रात में नींद, न दिन में चैन